

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

ग्राम बंजली, सैलाना रोड, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक 68/18/स्थापना/विज्ञप्ति/2020

दिनांक 11.09.2020

—:: विज्ञप्ति सूचना पत्र ::—

1) मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं प्रदर्शक/ट्यूटर के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2019 अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक किये जाने संबंधी प्रकरण की याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 5901/2019 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन होने के कारण आगामी आदेश तक अन्य पिछड़ा वर्ग के बड़े हुए 27 प्रतिशत आरक्षित पदों पर भर्ती किये जाने हेतु रोक लगाई गई है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुराने एवं नवीन प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राज्य स्तरीय पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों को माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण, छोड़ते (Hold रखते हुए) हुए निम्न शेष पदों पर भर्ती की जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आवेदन पत्र शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम के लिए दिनांक 26.09.2020 सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट www.gmcratlam.org एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग की www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

2) आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से Dean and CEO Government Medical college] Ratlam ग्राम बंजली, सैलाना रोड, रतलाम (म.प्र.) 457001 के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई डी deanratlam@gmail-com पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।

3) आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित /अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करे। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
शासकीय स्वशासी महाविद्यालय रतलाम, (म.प्र.)

DEAN
9.9.2020
Government Medical College
Ratlam (M.P.)

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम मध्यप्रदेश

क्रमांक/6818 / स्थापना/ विज्ञप्ति/ 2020

दिनांक: 11.09.2020

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जो कि MCI के 3rd Renewal के चिकित्सा महाविद्यालय के संबंधित विभागों में सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। दसवें चरण की भर्ती के पश्चात रिक्त पदों भर्ती हेतु ग्यारवें चरण की विज्ञप्ति जारी की जाती है। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2019 अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक किये जाने संबंधी प्रकरण की याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 5901/2019 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन होने के कारण आगामी आदेश तक अन्य पिछड़ा वर्ग के बड़े हुए 27 प्रतिशत आरक्षित पदों पर भर्ती किये जाने हेतु रोक लगाई गई है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुराने एवं नवीन प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राज्य स्तरीय पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों को माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण, छोड़ते (Hold रखते हुए) हुए निम्न शेष पदों पर भर्ती की जाना प्रस्तावित है। ग्यारवें चरण के साक्षात्कार अक्टूबर माह में प्रस्तावित हैं :-

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक/ प्रदर्शक-ट्यूटर

| क्र. | विभाग | प्राध्यापक | | | | सह-प्राध्यापक | | | | सहायक प्राध्यापक | | | | प्रदर्शक/ट्यूटर | | | |
|------|------------------------|------------|----|----|-----|---------------|----|----|-----|------------------|----|----------|-----|-----------------|----|-----------|-----|
| | | UR | SC | ST | OBC | UR | SC | ST | OBC | UR | SC | ST | OBC | UR | SC | ST | OBC |
| 1 | एनाटॉमी | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2 | बायोकेमिस्ट्री | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 3 | पेथोलॉजी | | | | | | | | | | | | | 1F | | | |
| 4 | मेडिसिन | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 5 | पीडियाट्रिक्स | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | टी.बी. एण्ड चेस्ट | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | डर्मेटोलॉजी | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | मनोरोग | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 9 | सर्जरी | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 10 | ओर्थोपेडिक्स | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ई.एन.टी. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | नैत्र रोग | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | स्त्री एवं प्रसूति रोग | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 14 | एनेस्थीसीया | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 15 | रेडियोलॉजी | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| | Total(18+1F) | 9 | | | | 3 | | | | 4 | | 1 | | 1 | | 1F | |

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है। - पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है। उक्त सन्दर्भ में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु नस्ति अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

1. वेतनमान –

नियमित नियुक्ति हेतु

| | | |
|------------------|---|------------------------------------|
| प्राध्यापक | – | 37400–67000+ ग्रेड–पे 10000 +डी0ए0 |
| सह प्राध्यापक | – | 37400–67000+ ग्रेड–पे 9000+डी0ए0 |
| सहायक प्राध्यापक | – | 15600–39100 + ग्रेड–पे 7000+डी0ए0 |
| प्रदर्शक/ट्यूटर | – | 15600–39100 + ग्रेड–पे 6000+डी0ए0 |

टीप – समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. आयु सीमा –

न्यूनतम

| | | |
|------------------|---|---------|
| प्राध्यापक | – | 35 वर्ष |
| सह प्राध्यापक | – | 30 वर्ष |
| सहायक प्राध्यापक | – | 25 वर्ष |
| प्रदर्शक/ट्यूटर | – | 22 वर्ष |

टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. अर्हताये :-

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

5. निरर्हतायें-

- 5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
- 5.2 दुश्चरित्र होने पर।
- 5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- 5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशांसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशांसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- 5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- 5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

6. सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेन्ट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।

7. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ।
 8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
 9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
 10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष , जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवाये देनी होगी । आवेदक को इस वावत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।
 11. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय मे कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
 12. यदि कोई चिकित्सा शिक्षक किसी भी शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पद पर नियुक्त हो चुका है, उसने पदभार ग्रहण ना भी किया हो तो भी वह आगामी तीन वर्षों के लिए किसी भी अन्य शासकीय महाविद्यालय में नियुक्त के लिए अर्हता नहीं रखेगा तथा इसलिए उसे विचारार्थ नहीं लिया जाएगा।
 - 13 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के लिए आवेदन, **Dean and CEO Government Medical college Ratlam** ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 को निर्धारित प्रारूप में दिनांक **26.09.2020** सांय **5:00** बजे तक आवक शाखा में जमा कराये जा सकते है। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम,(म.प्र.) में जमा कराये जा सकते है | अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्केन कराकर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई.डी deanratlam@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन"** एवं विषय..... तथा आवेदित पद का नाम.....और आरक्षित/अनारक्षित.....श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार का संभावित अक्टूबर माह में अपेक्षित है एवं इस संबंध में आगे की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे समस्त पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
 14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें।
 15. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 16. उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की वेबसाइट www.gmcratlam.org एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in पद पर उपलब्ध है।
- महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आषय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

Verified-
DEAN-9-2020
Government Medical College
Ratlam (M.P.)

आवेदन का प्रारूप

.....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि 28.09.2020)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित
फोटो

1. आवेदक का नाम
 2. पुरुष / महिला
 3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....
 4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....
 5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
 6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
 7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
 8. दिनांक 01 / 01 / 2020 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष
 9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित / अविवाहित
 10. विवाह का दिनांक-
 11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
 12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
- अ. (एम.वी.वी.एस.)-
ब. एमडी / एमएस-
स. एमसीएच / डीएम-

13. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

| क्र. | परीक्षा का नाम | संस्था/बोर्ड / वि.वि. | वर्ष | विषय | प्राप्तांक / पूर्णांक | एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत | प्रयास (Attempt) |
|------|----------------|--------------------------|------|------|-----------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

- 1 MBBS First Prof.
- 2 MBBS Second Prof.
- 3 MBBS Final Part I
- 4 MBBS Final Part II
- 5 MD/MS/MCH/DM
- 6 S.R.

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :-

| क्रमांक | पदनाम | शैक्षणिक अनुभव |
|---------|------------------|----------------|
| 1 | प्राध्यापक | |
| 2 | सह प्राध्यापक | |
| 3 | सहायक प्राध्यापक | |
| 4 | ट्यूटर/प्रदर्शक | |

15. रिसर्च पब्लिकेशन :-

| क्रमांक | पदनाम | रिसर्च पब्लिकेशन |
|---------|------------------|------------------|
| 1 | प्राध्यापक | |
| 2 | सह प्राध्यापक | |
| 3 | सहायक प्राध्यापक | |
| 4 | ट्यूटर/प्रदर्शक | |

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।
जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा
सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय
द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी
भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर